

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठारीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 07/2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चिमाराम पुत्र पुरखाराम		1. हिमताराम पुत्र वीरमाराम
2. जोगाराम पुत्र पुरखाराम		2. कानाराम पुत्र पदमाराम
3. गोमाराम पुत्र पुरखाराम		3. चनणीदेवी पत्नि रेखाराम
4. नेनाराम पुत्र पुरखाराम		4. डाईदेवी पत्नि डालूराम
5. हीरोंदेवी पत्नि पुरखाराम		5. देवी पुत्री रेखाराम
		6. पेमीदेवी पुत्री रेखाराम
		7. बांबुराम पुत्र मिरगोदेवी
		8. बाबूराम पुत्र पदमाराम
		9. भूराराम पुत्र डालूराम
		10. मंगलीदेवी पुत्री रेखाराम
		11. मेगाराम पुत्र मिरगोदेवी
		12. मीरोंदेवी पुत्री रेखाराम
		13. मोहनराम पुत्र सवाराम
		14. राणाराम पुत्र रेखाराम
		15. वनूदेवी पुत्री रेखाराम
		16. शेराराम पुत्र सवाराम
		17. आम्बाराम पुत्र सताराम
		18. कोहलाराम पुत्र मेहराराम
		19. खेताराम पुत्र मगाराम
		20. खेमाराम पुत्र तुलसाराम
		21. चेनाराम पुत्र खेराजराम
		22. जालाराम पुत्र अमराराम
		23. पुराराम पुत्र खेराजराम
		24. मलाराम पुत्र खेराजराम
		25. मुलाराम पुत्र खेराजराम
		26. मांगाराम पुत्र तुलसाराम
		27. रूघाराम पुत्र मेहराराम
		28. रूपां पत्नि खेराजराम
		29. लिछमणाराम पुत्र सोनाराम
		30. विमलादेवी पत्नि जालाराम
		31. शेराराम पुत्र खेराजराम
		32. सुराराम पुत्र सताराम
		33. हेमीदेवी पत्नि मगाराम
		34. हरचंदराम पुत्र सताराम
		35. हरदानराम पुत्र मेहराराम
		36. हिमताराम पुत्र दुर्गाराम

जातियान जाट, निवासी मोतीनगर,  
तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी



**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)**

**उपस्थिति-**

1. श्री चिमनसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी संख्या 37 के परोकार उपस्थित तथा शेष एकतरफा।

**आदेश**

**दिनांक 03.09.2025**

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम मोती नगर में खेत खसरा संख्या 276/115, 284/90 रकबा क्रमशः 1.3753, 2.9609 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम मोती नगर में खेत खसरा संख्या 276/115, 284/90 रकबा क्रमशः 1.3753, 2.9609 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम मोती नगर में खेत खसरा संख्या 276/115, 284/90 रकबा क्रमशः 1.3753, 2.9609 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील

सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम मोती नगर में खेत खसरा संख्या 276/115,

4/90 रकबा क्रमशः 1.3753, 2.9609 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम मोती नगर में खेत खसरा संख्या 276/115, 284/90 रकबा क्रमशः 1.3753, 2.9609 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्ड सहखातेदा है, और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी के ग्राम मोती नगर में खेत खसरा संख्या 276/115, 284/90 रकबा क्रमशः 1.3753, 2.9609 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी  
आदेश आज दिनांक 03.09.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी